रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1388] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928

No. 1388] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

का.आ. 1990(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 नवम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एई-1/1060/6/2006]

हामिद अली राव, संयुक्त सचिव (निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

S.O. 1990(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005), the Central Government hereby appoints the 17th day of November, 2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. AE-1/1060/6/2006]

HAMID ALI RAO, Jt. Secy. (Disarmament and International Security Affairs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

का.आ. 1991(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक के सामने वर्णित शक्तियां सौंपती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	प्राधिकारी	शक्तियां
(1)	(2)	(3)
1.	विदेश मंत्रालय	(i) उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय करना । (ii) उक्त अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों को कार्यान्वित करना ।
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	नाभिकीय आयुधों, नाभिकीय विस्फोटकों से संबंधित उपबंधों को कार्यान्वित करना और उक्त अधिनियम की धारा 8 से 21 के अंतर्गत उनसे संबंधित अपराधों का अभियोजन ।
3.	यथास्थिति, रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग या, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्राधिकरण	रासायनिक हथियारों से संबंधित उपबंधों को कार्यान्वित करना और उक्त अधिनियम की धारा 8 से 21 के अंतर्गत उनसे संबंधित अपराधों का अभियोजन ।
4.	यथास्थिति पर्यावरण मंत्रालय अथवा, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	जैविक हथियारों से संबंधित उपबंधों को कार्यान्वित करना और उक्त अधिनियम की धारा 8 से 21 के अंतर्गत उससे संबंधित अपराधों का अभियोजन ।
5.	यथास्थिति विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड	निर्यात नियंत्रण से संबंधित उपबंधों को कार्यान्वित करना और उक्त अधिनियम की धारा 11, 13 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के अंतर्गत उनसे संबंधित अपराधों का अभियोजन ।
6.	रक्षा मंत्रालय	सामूहिक संहार के आयुधों से संबंधित परिदान प्रणाली के संबंध में उपबंधों को कार्यान्वित करना और उक्त अधिनियम की धारा 8, 14 और 21 के अंतर्गत उनसे संबंधित अपराधों का अभियोजन ।

[फा. सं. ए ई-1/1060/6/2006]

हामिद अली राव, संयुक्त सचिव (निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

S.O. 1991(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby assigns to the authorities mentioned in column (2) of the Table below, the powers mentioned against each in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Authorities	Powers
(1)	(2)	(3)
1.	Ministry of External Affairs	(i) to coordinate between concerned Ministries and Departments for the purposes of the said Act; (ii) to implement provisions of Section 11 of the said Act.
2.	Department of Atomic Energy	to implement the provisions relating to nuclear weapons, nuclear explosives and prosecution of offences relating thereto under Sections 8 to 21 of the said Act.

(1)	(2)	(3)
3.	Department of Chemicals and Petro-Chemicals or, as the case may be, the National authority established under the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000).	to implement provisions relating to chemical weapons and prosecution of offences relating thereto under Sections 8 to 21 of the said Act.
4.	Ministry of Environment or, as the case may be, the Department of Biotechnology	to implement provisions relating to biological weapons and prosecution of offences relating thereto under Sections 8 to 21 of the said Act.
5.	Directorate General of Foreign Trade (DGFT) or, as the case may be, the Central Board of Excise and Customs.	to implement provisions relating to export controls and prosecution of offences relating thereto under Sections 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of the said Act.
6.	Ministry of Defence	to implement provisions relating to delivery systems in respect of weapons of mass destruction and prosecution of offences relating thereto under Sections 8, 14 and 21 of the said Act.

[F. No. AE-1/1060/6/2006]

HAMID ALI RAO, Jt. Secy. (Disarmament and International Security Affairs)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240180
CG-DL-E-10112022-240180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5012] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
No. 5012] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5231(अ).—केंद्रीय सरकार सामूहिक संहार के आयुद्ध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिबंध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-खंड (ii) सां.आ. 1991(अ) तारीख 17 नवम्बर 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, -

(क) क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)
"7.	यथास्थिति, वित्त मंत्रालय या, गृह मंत्रालय और उनके संगठन।	"उक्त अधिनियम की धारा 12क के अधीन सामूहिक संहार के आयुद्ध और उनकी परिदान प्रणाली और उससे संबंधित अपराधों के अभियोजन के संबंध में वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित उपबंधों को लागू करने के लिए।"

[फा. सं. एई- 1/1060/6/2021]

मुआनपुई सैयावी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्या सां.आ. 1991(अ) तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5231(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1991(E), dated the 17th November, 2006, namely:—

In the said notification, in the TABLE,—

(a) against serial number 5, in the entry in column (2), for the words "the Central Board of Excise and Customs", the words, brackets and letters "Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)" shall be substituted;

(b) after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	**(2)**	**(3)**
"7.	Ministry of Finance or, as the case may be, Ministry of Home Affairs, and their organisations.	to implement provisions relating to prohibition on financing in respect of weapons of mass destruction and their delivery systems and prosecution of offences relating thereto under section 12A of the said Act.".

[F. No. AE-I/1060/6/2021]

MUANPUII SAIAWI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1991(E), dated the 17th November, 2006.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.10 18:59:36 +05'30'